प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक :2-मार्च,2005

विषय:राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय केदारनाथ जनपद रूद्रप्रयाग के आवासीय भवनो के निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प/1/पी0एच0सी0./26/2003/953 दिनांक 17.01.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय केदारनाथ जनपद रूद्रप्रयाग के आवासीय भवनो के निर्माण हेतु लागत रू 49,40,000.00(उनचास लाख चालीस हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे व्यय हेतु रू0 8,54,000.00 (रू0 आठ लाख चव्वन हजार मात्र)की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- एकमुश्त प्राविधानो को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विषिश्टयो के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण कराया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानो मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लो जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जावेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-जिला योजना 04- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश) 24-बृहत निर्माण कार्य के मामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 1424/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 20.3.05 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0-85/XXVIII(3)-2004-12/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2-निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3-कोषाधिकारी, देहरादून ।
4-जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
5-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
6-परियोजना प्रबन्धक, ग्रा0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तरांचल ।
7-निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
8-वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
9-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव